


दिनांक 05-08-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद को चलाना नहीं चाहते हैं। प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई भी उपस्थित नहीं है।

अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

आदेश सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
बहवा (दौसा)